राजेश

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य।

(2007 की स्थानांतरण याचिका (क्रिमिनल) संख्या 71)

23 जनवरी, 2009

[डॉ. अरिजीत पसायत और अशोक कुमार गांगुली, न्यायमूर्तिगण]

वैवाहिक विवाद - स्थानांतरण याचिका - चित्तौड़गढ़ से हिसार में आपराधिक मामले का स्थानांतरण - आयोजित: मामले को लोक अदालत द्वारा निपटाया गया - संयुक्त याचिका जिसमें समझौते की शर्तें शामिल हैं - तदनुसार तलाक का मामला, सीआरपीसी की धारा 125 और 498 ए के तहत मामलों को वापस लिया जाना चाहिए/ निपटाया जाना चाहिए था - स्थानांतरण याचिका समझौते के संदर्भ में निपटाया गया।

आपराधिक मूल क्षेत्राधिकार: 2007 को स्थानांतरण याचिका (क्रिमिनल) संख्या 71

डॉ. जे. एन. दुबे, अनुराग दुबे, अनु साहनी, मीनेश दुबे, एस. के. दिवाकर, डी. पी. पांडे और एस. आर. सेतिया, याचिकाकर्ता के लिए।

प्रवीण कुमार, मनीष कुमार, अंसार अहमद चौधरी, सत्य प्रकाश और प्रोमिला मट्टा, प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय **डा अरिजीत पसायत, जे.** द्वारा दिया गया था। 1. याचिकाकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, चित्तौड़गार्थ में लंबित आपराधिक मामला एफआईआर संख्या 352 दिनांक 7-12-2005 अंतर्गत धारा 406, 498A सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता, संगीता बनाम राजेश को हिसार में सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

2. यह स्थानांतरण याचिका 6.12.2008 को सुप्रीम कोर्ट लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। पक्षकार और उनके अधिवक्ता पेश हुए और एक संयुक्त याचिका दायर करते हुए कहा कि उनके विवाद हैं न्यायमित्र के रूप में काम करने वाले मध्यस्थों के दिशानिर्देशों के तहत समझौते के आधार पर निस्पदित हो गया है।

3. समझौते की शर्तें निम्नलिखित थीं:

ए. दोनों पक्षों के बीच यह सहमति हुई है कि श्री राजेश 30 जून, 2009 को या उससे पहले श्रीमती संगीता को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 8 लाख रुपए की राशि का भुगतान करेंगे।

बी. इस बात पर भी सहमति हुई है कि एक अलग सूची में पक्षकारों द्वारा सहमति के अनुसार वस्तु श्री राजेश द्वारा चित्तौड़गढ़ में श्रीमती संगीता के घर भेजे जाएंगे।

सी. आगे यह सहमति हुई है कि लकी नामक नाबालिग बच्चे, जो अब श्रीमती संगीता के पास है, उसकी कस्टडी उसके पास रहेगी और श्री राजेश श्रीमती संगीता या उसके परिवार से बच्चे की कस्टडी के संबंध में कुछ भी दावा नहीं करेंगे।

डी. यह सहमति हुई है कि दोनों पक्षों द्वारा दायर मामले:

(i) श्रीमती संगीता द्वारा चित्तौड़गढ़ में राजेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 498(क) (संक्षेप में संहिता) के अंतर्गत आपराधिक दायर मामला;

(ii) चित्तौड़गढ़ में संहिता की धारा 125 के अंतर्गत श्री राजेश के विरुद्ध आपराधिक दर्ज मामला;

(iii) हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत श्रीमती संगीता के विरुद्ध श्री राजेश द्वारा चित्तौड़गढ़ स्थित परिवारिक न्यायालय में दायर तलाक की स्वीकृति के लिए लंबित अभियोग;

(iv) इस न्यायालय के समक्ष श्री राजेश द्वारा दायर वर्तमान स्थानांतरण याचिका संख्या 71/2007 लंबित अभियोग वापस ले लिया जाएगा/ निपटाया जाएगा।

आगे यह सहमति हुई है कि इस समझौते के संदर्भ में तलाक के लिए एक डिक्री पारित की जा सकती है। इसके बाद एक-दूसरे के खिलाफ या नाबालिग बच्चे लकी के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया जाएगा।

4. यह खुशी की बात है कि पार्टियों ने अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और उपरोक्त शर्तों पर सहमत हो गए हैं। स्थानांतरण याचिका को समझौते के संदर्भ में निष्पादित किया जाता है। समझौते की शर्तों को शामिल करने वाला विवरण रिकॉर्ड का एक हिस्सा होगा।

अपील निष्पादित की जाती है।

जी एन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Ashish Kumar

Advocate Allahabad High Court